

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)


क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/५१५ दिनांक :- 13/01/15

## आदेश

सां.आ. 107/2015- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 66 (7) के सपठित नियम 59 (9) के उपबन्धों के अनुसार उप सरपंच के चुनाव हेतु मतपत्र की डिजाईन निर्धारित करने के लिए Statuary Order No. F.1(2)(1)NP\_PE/S.O./SEC/14/ 9504 Jaipur, Dated 17-12-2014 (S.O. No. 102 /2014) जारी किया गया था, उक्त सांविधिक आदेश के बिन्दु संख्या 1 के उपबिन्दु संख्या C को निम्नानुसार पढ़ा जावे -


- c) "Name of Panchayat" on the Ballot Paper of Up-Sarpanch on the right hand side.

आज्ञा से,

  
(सत्यप्रकाश बसवाला)  
सचिव  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
राजस्थान, जयपुर।  
13/01/15

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/५१५-११ जयपुर, दिनांक : 13/01/15  
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
2. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत कलक्टर) राजस्थान को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी उपलब्ध करावें।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को राजपत्र के विशेषांक भाग 6 (ग) में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 20 प्रतियाँ आयोग को उपलब्ध करावें।
4. कम्प्यूटर शाखा को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

  
(अशोक कुमार जैन)  
उप सचिव